Sl No.	Item	Norms	Remarks
6	Drinking Water Programmes	Assistance is given on the basis of assessment made by the Central Team which includes the expert from Rural WaterUrban Water Deptt.	
7	Other items	The Central assistance for the other items is given on the basis of on the spot assessment made by the Inter-Ministerial Central Team consisting of various experts.	

समाचार एजेंसियों को सरकारी सहायता

12. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सरकार ने किन-किन भारतीय समाचार एजेंसियों को विज्ञापन देकर तथा अन्य प्रकार से कितनी-कितनी सहायता दी है और यह आदेश जारी किये जाने के पश्चात् कि हिन्दुस्तान समाचार तथा समाचार भारती को विज्ञापन नहीं दिये जाएं, कितने रुपये मूल्य के विज्ञापन भारतीय समाचार एजेंसियों को दिये गये ;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय भाषाओं तथा राजभाषा के समाचारपत्रों के लिये कार्यरत समाचार एजेंसियों के विकास के लिए कोई नीति बनाई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित हिन्दी की दोनों समाचार एजेंसियों के बेरोजगार हुए कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वि० एन० गाडगिल) : (क) समाचार एजेंसियों को कोई विज्ञापन नहीं दिए जाते हैं, अतः हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती को विज्ञापन न दिए जाने के आदेश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, "समाचार" का 13-4-1978 को अपने मल संघटकों अर्थात् पी० टी० आई०, यू० एन० आई० हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती में विभक्त हो जाने के परिणामस्वरूप, इन समाचार एजेंसियों को अपना कार्य ठोस आधार पर पुनः आरंभ करने में समर्थ बनाने की दृष्टि से इन एजेंसियों की वित्तीय रूप से मदद करने का निर्णय लिया गया था। "समाचार" के विभक्त हो जाने के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इन समाचार एजेंसियों को सहायक अनुदान, विकासात्मक ऋण, पुनर्वास अनुदान और तदर्थ अनुदान के रूप में दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण (आगे देखिए) में दिया गया है।

(ख) समाचार एजेंसियां निजी क्षेत्र में हैं और प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के अनुसरण में सरकार समाचार एजेंसियों के आंतरिक कार्य संचालन में हस्तक्षेप नहीं करती। इस प्रकार की एजेंसियों को विकसित करना स्वयं समाचारपत्रों का काम है।

(ग) सरकार समाचार एजेंसियों के आंतरिक कार्य संचालन में किसी भी तरह हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती के कर्मचारियों को सहयोगी संगठनों में खपाने के लिए यथासंभव मदद करने का प्रयास करेगी।

विवरण

(क) समाचार एजेंसियों को दिया गया सहायक अनुदान

एजेंसी का नाम	1978–79	1979–80	1980–81	1981–82	1982–83	1983–84	1984–85
पी०टी०आई०	16,60,000–00	14,63,900–00	14,91,681–00	14,83,205–12	16,21,504–15	3,21,952–85	2370–85
यू०एन०आई० हिन्दुस्तान	7,63,000–00	5,74,494–52	6,43,396.75	5,58,666–85	3,21,552–74	1,40,000.00	शून्य
समाचार	6,40,000–00	10,52,488–45	8,33,000.00	6,46,000.00	4,21,985.65	1,79,713.57	शून्य
समाचार भारती	4,93,000.00	5,28,357.37	5,19,148.03	4,19,807.00	2,18,361.39	3,37,064.95	शून्य

(ख) विकासात्मक ऋण :

पी०टी०आई०	17.00 लाख
यू०एन० आई०	21.25 लाख
हिन्दुस्तान समाचार	8.50 लाख
समाचार भारती	8.50 लाख

(ग) पुनर्वास अनुदान :

पी०टी०आई०	5.00 लाख
यू०ए० आई०	9.00 लाख
हिन्दुस्तान समाचार	4.50 लाख
समाचार भारती	3.25 लाख

(घ) तदर्थ अनुदान :

पी०टी०आई०	शून्य
यू०एन०आई०	शून्य
हिन्दुस्तान समाचार	3.50 लाख
समाचार भारती	3.46 लाख